- ~~ ~~~ मार्ग से पुलिया की ओर होगा

कार्यालय मुख्य अभियन्ता

मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद ।

पत्रांक :- 7883 /46एम0-मु0क्षे0/16 दिनांक- 29-12-2016

सेवा में

जिलाधिकारी,
मुरादाबाद ।

विषय :- **ग्राम-मुस्तफाबाद रामपुर रोड तहसील व जिला मुरादाबाद के खसरा सं0-196/03 में प्रोपोस्ड रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।**

सन्दर्भ :- **आपका पत्रांक-214/आबकारी सहायक/2016 दिनांक 04.11.2016**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। विषयगत प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत, लो0नि0वि0, मुरादाबाद के पत्रांक-5930/105काम-मु0वृत/16 दिनांक 26.12.2016 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा की गई संस्तुति एवं शर्तों के तारतम्य में ग्राम-मुस्तफाबाद रामपुर रोड तहसील व जिला मुरादाबाद के खसरा सं0-196/03 में प्रोपोस्ड रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 पम्प स्थापित करने हेतु सिटी एनेर्जी लि0, मुरादाबाद को निम्न शर्तों के साथ लो0नि0वि0 से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

1- मानचित्र मानक के अनुसार बने है।

2- प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।

3- आवेदक के विरूद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ0प्र0 रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट-1945 की धारा -13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।

4- प्रस्तावित निर्माण स्थल पालिका की सीमा के बाहर है।

5- प्रस्तावित स्थल दिल्ली-बरेली-लखनऊ पुराना राष्ट्रीय मार्ग सं0-24(शहरी भाग) के कि0मी0 164.00 चैनेज 163.100 के बायीं ओर पड़ता है।

6- प्रस्तावित निर्माण कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

7- रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिये 01 किमी0 की दूरी पर सर्विस बेरियर नहीं है।

8- बफर स्ट्रिप 12.00 मी0 लम्बाई एवं 03 मी0 चौडाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौडाई 11.50 मी0 है।

9- प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड सं0-12-2009 के अनुसार किया जाये।

10- आवेदक को प्रस्तावित निर्माण कार्य की मध्य रेखा से बफर स्ट्रिप 22.86 मी0 पम्प 32.86 मी0 40.86मी0, 40.86मी0 एवं भवन निर्माण 50.34 मी0 की दूरी पर नक्शें मे प्रदर्शित है।

   क- आवेदक को रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्चे से मान चित्रानुसार ओपन ड्रेन(नाली) एवं दोनो ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0, की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 15 वर्षो के लिये लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र(एनेक्चर-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है एग्रीमेन्ट की फीस समक्ष अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जमा करायी जायेगी। प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित रू0 4000.00 मूल्य के स्टाम्प के फार्म संलग्न है।

   ख- आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 लगाने के पूर्व व पश्चात् मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।

   ग- आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वंय के इस्तेमाल एवं वर्षाती पानी का बाहव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा मे रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहियें एवं नाले को बन्द नहीं किया जायेगा।

   घ- फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.50 मी0 नीचा रखा जायेगा।

11- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईट खन्ती में 1.00 मी0 चौडाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाईप के कैटिल केचर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साईट ड्रेन से होकन आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सकें। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द नहीं किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।

F:\Dk\World\Petrol Pamp.doc

12- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0-13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।

13- बफर स्ट्रिप के पास हैजिज की ऊँचाई 60सेमी0 से ऊपर न रखी जाये।

14- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 पम्प का निर्माण लो0नि0वि0, मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शें के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य से 30.00 मी0 की दूरी के कम पर कोई भवन निर्माण नहीं होना चाहिये।

15- प्रस्तावित स्थल के ऊपर 300 मी0 दोनों ओर कोई रोड क्रोसिंग नहीं होनी चाहियें।

16- यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

17- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने के पूर्व प्रार्थी को **अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि, मुरादाबाद** से लाईसेन्स डीड एक्जीक्यूट कराना आवश्यक है।

18- भूमि के स्वामित्व का सत्यापन .राजस्व विभाग से करा लिया जाये इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

19- लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहूँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्लू0/ एन0एच0-33023-19 /99-डी0ओ0 तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गाईडलाईनों का अनुपालन करना होगा।

संलग्नः- 1-मानचित्र दो प्रतियों में।
2-एनक्जर एवं चैक लिस्ट।
3-भू0स्वामित्व की छायाप्रति, खतौनी एवं सेल डीड।
4-लीज डीड एग्रीमेन्ट पॉच प्रति में।
5-अधी0अभि0, मु0बाद का पत्र सं0-5930/
105काम-मु0वृत/16 दि0 26.12.16

(के0के0 सिंह राठौर)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, मुरादाबाद उनके पत्र दिनांक 26.12.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद